मिसल नम्बर 142 / 2022
निर्णय दिनांक 07–10–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विवेक कटारिया
मिसल नम्बर :– 142 / 2022

सरकार

बनाम

कृष्ण कुमार पिता लादूराम जाति मेघवाल निवासी मुकुन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

...................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 07–10–2022

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल अधिवक्ता श्री हवासिंह बबेरवाल उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का ठाठवाड़ी के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 16.41 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.05 है0 भूमि पर गैर सायल कृष्ण कुमार पिता लादूराम जाति मेघवाल निवासी मुकुन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने राजकीय भूमि पर आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ठाठवाड़ी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने नोटीस जवाब इस आश्य का पेश किया है कि गैर सायल/प्रार्थी के द्वारा कोई नया अतिक्रमण नही किया गया है। उनका कब्जा उनके पूवर्जो के समय से चला आ रहा है जिसका पट्टा होना बताया गया है। गैर सायल द्वारा ना तो कोई पट्टे की प्रति पेश की है। ना ही गैर सायल की ओर से कोई ठोस सबूत पेश पेश गये है। पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड के मुताबिक अतिक्रमी भूमि की किस्म गैर मुमकीन जौहड़ है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित भूमि है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल कृष्ण कुमार पिता लादूराम जाति मेघवाल निवासी मुकुन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला

मिसल नम्बर 142 / 2022
निर्णय दिनांक 07–10–2022

झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 16.41 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.05 है0 पर आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अपने अभियोग अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का **ठाठवाड़ी** के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 16.41 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.05 है0 भूमि पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **ठाठवाड़ी** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 16.41 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.05 है0 भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक कटारिया)
तहसीलदार, खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी